

Topic - लोकसदन (2 चना) (House of Commons)

ब्रिटिश शासन - व्यवस्था के अन्तर्गत लोकसदन के बहुत ही प्राथमिक स्तर प्राप्त है। ब्रिटिश शासन - व्यवस्था के अन्तर्गत संसद की प्रमुखता का जो उल्लेख किया जाता है आज इसका तात्पर्य लोकसदन और लॉर्ड्स का प्रमुखता से नहीं, बल्कि लोकसदन की प्रमुखता से ही होता है। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम चारित होने के बाद वर्तमान समय में जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में न्यूमैन के शब्दों में कहा जा सकता है कि "संसद की प्रमुखता लोकसदन में निवास करती है।"

लोकसदन की रचना

ब्रिटिश लोकसदन के सदस्यों की संख्या 659 है। लोकसदन के समस्त सदस्य वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं और जून 1970 में किये गये परिवर्तन के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नर - नारी को मताधिकार प्रदान कर दिया गया है। वयस्क मताधिकार की इस व्यवस्था के अन्तर्गत विदेशिया, देशद्रोही तथा और अपराध के लिए दण्डन व्यक्तियों तथा पागल या दिवंगत प्रमाणित व्यक्तियों

को महाधिकार प्राप्त नहीं है।

कार्यकाल - लोकसदन का कार्यकाल पांच वर्ष का है किन्तु आवश्यकता नुसार इस कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है जैसा कि प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के काल में किया गया। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा लोकसदन को पांच वर्ष की अवधि लम्बी होने से पूर्व भी विघाटन किया जा सकता है।

लोकसदन के महाधिकारी :- लोकसदन का सबसे प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होता है जिसे नवीन संसद के निर्माण के बाद लोकसदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अन्य संसदीय अधिकारियों में 'साधन समिति' का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमुख होते हैं जिनका चुनाव भी लोकसदन के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 'साधन समिति' का अध्यक्ष और उसकी भी अनुपस्थिति में साधन समिति का उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है।

सदन का अधिकार - लोकसदन का अधिकार 71 ग्लोस सुभा के साथ ही प्रारम्भ होता है। ग्रेट ब्रिटेन में यह परम्परा है कि वर्ष में एक अधिकार अनुवृत्त ही बुलाया जाये। आवश्यकता नुसार अधिक अधिकार बुलाये जा सकते हैं। मंगूर के लिए सदन में 40 सदस्य होने चाहिए।

Khushbu Kaur